मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल दिनांक / 11/2005

क्रमांक एफ-33/22/04/10-1 : राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वन क्षेत्रपालों को दिनांक 13.12.2004 से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रुपये 5500-175-9000 में पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख कालम क्रं0 5 में दर्शाए स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रं0	वरियता क्रं0 दि. 1.4.03 की स्थिति में	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
01.	61 (48)	श्री रामलाल वर्मा SC 4/5/48	रीवा वृत्त (1)	प.अ. गुढ़ार सा. दक्षिण शहडोल, सा.व.म.
02.	124 ए	श्री जवाहरलाल शर्मा (G)	रीवा वृत्त	प.वि.अ. सतना, वन विस्तार केन्द्र सतना
03.	138ए	श्री झमरलाल पाटिल SC	बैतूल वृत्त 2	प.अ. कासींद उत्पादन छिन्दवाड़ा उत्पादन वनमंडल
04.	257	श्री धनसिंह धुर्वे ST 2/6/54	मंडला वनमंडल (1)	प.अ. अमरपुर सामान्य डिण्डोरी सा.व.म.
05.	620	श्री भैयालाल सिहारे ST	बालाघाट वृत्त (2)	प.अ. लांजी, सामान्य दक्षिण बालाघाट सामान्य वन मंडल

2/ उक्त पदोन्नति प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों में पारित निर्णय के अधीन होगी ।

3/ म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है ।

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-3/22/2004/10-1 : राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को दिनांक 13.12.2004 से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख कालम क्रमांक 5 में दर्शाए स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

अ.क्र.	वरियता क्रं0 दि. 1.4.03 की स्थिति में	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
01.	22	श्री प्रतापसिंह सिसोदिया	इन्दौर वृत्त	परिक्षेत्र अधिकारी धार, सामान्य वन मंडल धार
02.	155	श्री राजसिंह डहरवाल	बालाघाट वृत	छिन्दवाडा वृत्त विशेष कर्तव्य

2. उक्त पदोन्नति प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों के भावी निर्णय के अधीन होगी ।

3. म.प्र.लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टिया रोस्टर पंजी में कर दी गई है ।

4. प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र.लोक सेवा (अनुसूचित जातिया, अनुसूचित जन जातियां और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 तथा म.प्र.लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबन्ध और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता.

(मीनाक्षी मालवीया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

...2

पृ०क्रमांक एफ-03/22/2005/10-1 :

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
02. निज सचिव, मान. वनमंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी म.प्र. शासन, भोपाल ।
03. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल ।
मुख्यवन संरक्षक (प्रशासन/अराज) मध्यप्रदेश भोपाल ।
05. वन संरक्षक इन्दौर/बालाघाट/छिन्दवाडा मध्यप्रदेश ।
06. वन मंडलाधिकारी, इन्दौर/धार/बालाघाट/छिन्दवाडा मध्यप्रदेश ।
07. संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य वन संरक्षक (प्रशा/अराज) मध्यप्रदेश भोपाल ।
08. स्टाक फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 2005

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

//जोशी//

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/मा०/ दिनांक

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक इन्दौर वृत्त इन्दौर, म०प्र० की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित/म०प्र०शासन वन विभाग के निर्देशानुसार आदि

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 20.5.2005

क्रमांक एफ 3-22/04/10-1 राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वन क्षेत्रपालों को दिनांक 13.12.2004 से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष कालम नं. 5 में दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

अ.क्र.	वरीयता क्र. दि. 01.04.03 की स्थिति में	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	100	श्री चेतनाथ शुक्ला	शहडोल वृत्त	अमरकंटक वन विद्यालय
2.	104अ	श्री बाबूलाल पाण्डे	छतरपुर वृत्त	नौरादेही वन्य प्राणी वन मण्डल सागर

2/ उक्त पदोन्नति प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों में भावी निर्णय के अधीन होगी।

3/ म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन् 1994 तथा म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंध और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता/-
(डॉ. के.के. यादव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन वन विभाग

पृ॰ क्र॰ एफ 3-22/04/10-1.   भोपाल, दिनांक 20.5.2005

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी, मुख्य मंत्री कार्यालय, भोपाल
2. निज सचिव, मान॰ वन मंत्री जी, म॰प्र॰ शासन, भोपाल
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म॰प्र॰, भोपाल
4. मुख्य वन संरक्षक (प्रशा/अराजप), म॰प्र॰, भोपाल
5. वन संरक्षक, शहडोल / छतरपुर/सागर, म॰प्र॰
6. संचालक, नौरादेही वन्य प्राणी, सागर, म॰प्र॰
7. वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण पन्ना वन मण्डल, [illegible]
8. वन मण्डलाधिकारी, उत्तर वन मण्डल शहडोल, म॰प्र॰
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा वन संरक्षक शहडोल/छतरपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग